



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, फरवरी 19—फरवरी 25, 2017, शनिवार/माघ 30—फाल्गुन 6, 1938

No. 7] NEW DELHI, FEBRUARY 19—FEBRUARY 25, 2017, SATURDAY/MAGHA 30—PHALGUNA 6, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग (बहु विध कार्य करने वाले कर्मचारी) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, (बहु विध कार्य करने वाले कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उच्चतर शिक्षा विभाग, (बहु विध कार्य करने वाले कर्मचारी) पद भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,

(क) स्तम्भ (4) के शीर्ष में निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

**Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

**Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

[ F. No. A -12018/05/2014- NTH ]  
D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 59.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, महानिदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में महानिदेशक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता, महानिदेशक, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके संलग्न पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महानिदेशक	01* (2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' अराजपत्रित अननुसचिवीय	लेवल -14 (144200 रु.- 218200 रु.)	लागू नहीं होता	पचास वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्व विद्यालय से रसायन विज्ञान (विशुद्ध या अनुप्रयुक्त) या भौतिक विज्ञान (विशुद्ध या अनुप्रयुक्त) में स्नातकोत्तर डिग्री या इंजीनियरिंग या धातु विज्ञान या टैक्सटाइल/रबड़ प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य: तथा</p> <p>(ii) (क) पदार्थों के परीक्षण तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव रखता हो; या</p> <p>(ख) मानकीकरण, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और यथार्थता में 15 वर्ष का अनुभव जिनमें से कम से कम 5 वर्ष, पदार्थों तथा परियोजनाओं के स्वतंत्र आयोजन और निष्पादन में अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान/भौतिकी में डाक्टरेट की</p>	<p>आयु: नहीं।</p> <p>शैक्षिक अर्हता: हां</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष</p>	<p><b>संयुक्त पद्धति</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) प्रोन्नति सहित, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>

उपाधि या इंजीनियरिंग/धातु विज्ञान/टैक्सटाइल/रबड़ प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य; (ii) प्रशासनिक अनुभव अधिमानतः किसी प्रयोगशाला में; तथा (iii) औद्योगिक पदार्थों तथा परीक्षण पद्धति विज्ञान में अनुसंधान का अनुभव।			
---	--	--	--

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है और उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) प्रोन्नति सहित:</p> <p>I. केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विकास संगठनों/अर्द्ध-सरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी,</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के पे लेवल 13-ए (131100-216600 रु.) में अथवा समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के पे लेवल 13 (118500-214100 रु.) में अथवा समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।</p> <p>II. ऐसे विभागीय निदेशक (ग्रेड 2) जिन्होंने पे मैट्रिक्स के पे-लेवल 13 (118500-214100 रु.) में तीन वर्ष की सेवा की है, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और ऐसी</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग -अध्यक्ष</li> <li>2. अपर सचिव, अन्य मंत्रालय/विभाग से -सदस्य</li> <li>3. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग -सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर पद की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

दशा में नियुक्ति के लिए चयनित किए जाने पर, उस पद पर प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

**टिप्पण 1-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत, अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण- 4:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का पे- मैट्रिक्स सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) तक विस्तारित होगा जिसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी पे- मैट्रिक्स लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

New Delhi, the 21st February, 2017

**G.S.R. 59.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) National Test House, Kolkata, Director General, Group A post, Recruitment Rules 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General in the National Test House, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the National Test House, Kolkata, Director General (Group 'A' Post) Recruitment Rules 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, level in the pay matrix.** -The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. .** - The method of recruitment, to the said post, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.** - No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post.	Age -limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director General	01* (2017) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group-A Gazetted, Non-Ministerial	Level - 14 (Rs.144200-Rs.218200/-)	Not applicable.	Not exceeding fifty years  (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti

					District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry (Pure or Applied) or Physics (Pure or Applied) or Degree in Engineering or Metallurgy or Textile or Rubber Technology from a recognised University or equivalent and</p> <p>(ii) (a) possessing fifteen years experience in the field of testing and evaluation of materials; or</p> <p>(b) fifteen years experience in standardisation, quality assurance and reliability of which at least five years should be in the field of materials and in independent planning and execution of projects.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p> <p><b>Desirable :</b></p> <p>(i) Doctorate Degree in Chemistry or Physics or Post Graduate Degree in Engineering or Metallurgy or Textile or Rubber Technology from a recognised University or equivalent;</p>	<p>Age - No</p> <p>Educational Qualifications : Yes</p>	<p>One year for direct recruits.</p>	<p>Composite method</p> <p>Deputation (including short term contract) plus promotion, failing which by direct recruitment.</p>



(ii) administrative experience, preferably in a laboratory ; and			
(iii) research experience in industrial materials and testing methodology.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short term contract) plus promotion:</p> <p><b>I. Officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Development Organisations or Semi Government, Statutory or Autonomous Organisations:-</b></p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level - 13A in the pay matrix (Rs.131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level - 13 in the Pay Matrix (Rs.118500-214100) or equivalent in the parent cadre or department ; and</p> <p>(b) possessing the essential qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>II. The Departmental Director (Grade II) in the Level -13 in the Pay Matrix (Rs.118500-214100) with three years regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.</b></p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Officers in the feeder cadre who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-</b></p> <p>(1) Secretary, Department of Consumer Affairs - Chairman</p> <p>(2) Additional Secretary from another Ministry/Department - Member</p> <p>(3) Senior Economic Advisor, Department of Consumer Affairs - Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.</p>

<p><b>Note 2:</b> The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

[ F. No. A -12018/03/2005- NTH ]  
D. K. SONKER, Dy. Director (National Test House)